

झारखंड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (कृषि प्रभाग)
कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, बोकारो

किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना

किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में NFSM योजनान्तर्गत कृषि यंत्र का वितरण कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (कृषि प्रभाग) झारखंड के माध्यम से 50 प्रतिशत अनुदान पर किसानों के बीच किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं०	कृषि यंत्र का नाम	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम अनुदान की राशि प्रति ईकाई (रु० में) (दोनों में से जो कम हो)
NFSM योजनान्तर्गत			
1	पावर नैपसेक स्प्रेयर (SC/ST/Small & Marginal / Women Farmer) 8-12 liter	31	3100/- or 50% of the Cost
2	पावर नैपसेक स्प्रेयर (Other) 8-12 liter	37	2500/- or 40% of the Cost
3	मैन्युअल स्प्रेयर (SC/ST/Small & Marginal / Women Farmer & NE. States)	126	750/- or 50% of the Cost
4	मैन्युअल स्प्रेयर (Other)	95	600/- or 40% of the Cost
5	रोटामेटर (SC/ST/Small & Marginal / & NE. States) (Tractor driven about 35BHP-5ft)	01	42000/- or 50% of the Cost
6	रोटामेटर (Other) (Tractor driven about 35BHP-5ft)	02	34000/- or 40% of the Cost
7	Chisel Plough below 20 BHP Tractor driven for other Farmers	01	8000/- or 50% of the Cost
8	Ridge furrow planter below 20 BHP Tractor driven for other farmers	01	24000/- or 40% of the Cost
9	Seed storage bins	14	1000/- or 50% of the Cost
10	Sprinkler Sets	01	The cost for sprinkler Irrigation system for 1 Ha. would be from Rs. 19542/- to 21901/- per Ha. depending on diameter of pipe used as per guideline under PMKSY.
11	Pump Sets	23	10000/- or 50% of the Cost
12	Pipe for carrying water from source to the field.	327 meter	50% of the cost limited to Rs.50/- per meter for HDPE pipes Rs.35/-per meter for PVC pipes and Rs 20/- per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes with maximum ceiling of Rs 15000/- per farmer or group of farmer/beneficiary for water carrying pipes)
13	Mobile Rain Gun	01	Rs. 28681/- to 34513/-ha. depending on diameter of pipe used as per guideline under PMKSY.
14	Threshing Floor (30' X 30' size)	03	57500/- or 50% of the Cost

उपरोक्त भौतिक लक्ष्य के अनुरूप किसानों को कृषि यंत्र का वितरण "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर अपने संबंधित प्रखंड के प्रखंड तकनीकी सूचना केन्द्र (एटीक सेन्टर) में प्रत्येक कार्य दिवस में कृषि यंत्र का आवेदन विहित प्रपत्र में भरा हुआ फोटोग्राफ्स एवं वांछित प्रतिवेदन के साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी से अनुशंसा उपरांत ही समर्पित किये जाएंगे। भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखंड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या-56 दिनांक 10.02.2021 के अनुसार संबंधित निर्माता/अधिकृत विक्रेता का ही विपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय जिला कृषि कार्यालय भवन, बोकारो/सभी प्रखंडों के एटीक सेन्टर/ www.atmabokaro.org.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त होने के उपरांत जाचोपरांत आवंटन प्राप्त होने पर अनुदान राशि का भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

नोट : आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2021 से 20.07.2021 तक स्वीकार की जायेगी।

जिला कृषि पदाधिकारी,
बोकारो